

  
**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT  
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4214/2025

1. Phula Ram S/o Shri Bhana Ram, Aged About 51 Years,  
R/o Baya Bhag, Dujana, Pali, Rajasthan. (Jail Name  
Branch Jail, Bali, District Pali Raj.)
2. Ramesh Kumar S/o Shri Jagta Ram, Aged About 36 Years,  
R/o 159 Hand Pump Wali Gali, Dujana, Pali, Rajasthan.  
(Jail Name Branch Jail, Bali, District Pali Raj.)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

---

|                   |   |                                                                   |
|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Jagatveer Singh                                               |
| For Respondent(s) | : | Mr. Urja Ram Kalbi, PP<br>Mr. Jayesh Choudhary for<br>Complainant |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR SHARMA**

**Order**

**26/08/2025**

प्रार्थीगण—अभियुक्तगण संख्या 01. फुलाराम, 02. रमेश कुमार की ओर से ये जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन पुलिस थाना साण्डेराव, जिला पाली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 13/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 329(3), 115(2), 126(2), 117(2), 118(1), 109, 3(5) भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत किया है।

02. मैंने योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण—अभियुक्तगण तथा शिकायतकर्ता के योग्य अधिवक्ता व योग्य लोक अभियोजक की बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

03. योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण—अभियुक्तगण ने तर्क दिए कि प्रार्थीगण—अभियुक्तगण निर्दोष है और उन्हें इस प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। प्रार्थीगण—अभियुक्तगण दिनांक 12.03.2025 से अभिरक्षा में हैं।

प्रकरण के निष्कर्ष में समय लगने की संभावना है। अतः ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत शिकायतकर्ता के योग्य अधिवक्ता एवं योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थीगण-अभियुक्तगण का जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। मजरुब उमाराम के चोट प्रतिवेदन एवं एक्स-रे रिपोर्ट के अनुसार चोट संख्या 1, 7 एवं 9 साधारण प्रकृति की पाई गई हैं, जबकि चोट संख्या 6 और 8 गंभीर प्रकृति की पाई गई हैं। तत्पश्चात् मजरुब के ईलाज के रिकॉर्ड के आधार पर चोट संख्या 6 को गंभीर प्रकृति की होकर प्राणघातक बतलाया गया है। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण दिनांक 12.03.2025 से अभिरक्षा में हैं। प्रकरण में अन्य आहत लादी देवी की चोटें भी साधारण प्रकृति की पाई जाती हैं। प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों आदि को देखते हुए, इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विवेचन किए बिना प्रार्थीगण-अभियुक्तगण फुलाराम व रमेश कुमार को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

06. परिणामतः प्रार्थीगण-अभियुक्तगण संख्या **01. फुलाराम पुत्र भाणाराम 02. रमेश कुमार पुत्र जगताराम** की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण-अभियुक्तगण पुलिस थाना साण्डेराव, जिला पाली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 13/2025 में विद्वान विचारण न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में पचास हजार रुपये के मुचलके एवं विचारण न्यायालय के संतोषप्रद पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो-दो सुदृढ़ जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें, तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

**(CHANDRA SHEKHAR SHARMA),J**

